DEMAND NO. 51—103—CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

"That a sum not exceeding Rs. 4,85,57,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sums necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of Capital Outlay on Public Works."

DEMAND NO. 52—124—CAPITAL OUTLAY ON SCHEMES OF GOVERNMENT TRADING

"That a sum not exceeding Rs. 2,86,54,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sums necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of Capital Outlay on Schemes of Government Trading."

DEMAND NO. 54—LOANS AND ADVANCES BY STATE/UNION TERRITORY GOVERNMENTS

"That a sum not exceeding Rs. 21,53,12,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal to complete the sums necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1971, in respect of Loans and Advances by States/Union Territory Governments."

18.10 hrs.

WEST BENGAL APPROPRIATION (No. 2) BILL*, 1970

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I move:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal for the services of the financial year 1970-71."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal for the services of the financial year 1970-71."

The motion was adopted.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I introduce† of the Bill : I move† :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of West Bengal for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: Shri Kanwar Lal Gupta wants to make a few observations on this Bill and I shall allow him at the third reading stage. I shall put the clauses to vote. The question is:

"That clauses 2, 3 and the Schedule, Clause I, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I move:

"That the Bill be passed."

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 25.8.70.
Introduced† moved with the recommendation of the President.

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

"That the Bill be passed."

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर): सभापति महोदय, मैं चार पांच मिनट में तीन चार बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो यह कि अभी श्री पन्त ने यह बात कही और उसकी तफसील दी कि किस प्रकार से यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने जो सान्याल, मजुदार वगैरह थे, बड़े नक्सलाइट थे, जो मर्डरर्स थे, जो घेराव वगैरह के क्रिमिनल्स थे उन पर से मुकदमें वापस ले लिये और उसका थोड़ा सा ब्यौरा भी दिया। मेरा कहना यह है कि जब यह सब कुछ हो रहा था, घेराव चल रहे थे, इल्लीगल स्ट्राइक हो रहे थे, लोगों को कत्ल किया जा रहा था, उसके होने के बाद भी यह सरकार तीन साल तक लगातार पैसिव स्पेक्टेटर की तरह से देखती रही। मैं समझता हूं कि बंगाल में जो गड़बड़ी है, या देश में जो वायोलेंस का वातावरण है, उसके लिये सबसे बड़ी जिम्मेदार यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट है। यह तो उसी प्रकार से है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसरी बजा रहा था। हमने बार बार चेतावनी दी गृह मंत्रालय को कि आप इंटरवीन कीजिये, यह मौका है, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह सरकार सोती रही क्योंकि उनको कुछ करना पोलिटिकली सूट नहीं करता था। हमारे संविधान के अनुसार जो उनकी जिम्मेदारी है उसको उन्होंने नहीं निभाया। उनके खिलाफ मेरा यह चार्ज है।

मैं उन लोगों पर भी इसकी जिम्मेदारी डालना चाहता हूं जो उनके साथ मिल कर सरकार चला रहे थे। मुख्य मंत्री ने बहुत सी बातें की होंगी, जो बातें ठीक कीं उनके लिये तारीफ की जानी चाहिये। लेकिन क्या यह सही नहीं है, वह तीन साल तक देखते रहे और कानून टूटता रहा, पुलिस डिमारलाइज होती रही? लोगों का विश्वास जाता रहा और वह देखते रहे। इसलिये कोई पार्टी चाहे वह उधर की हो या यूनाइटेड फ्रंट के किसी पार्टनर की हो, चाहे एस० एस० पी० की होचाहे सी० पी० आई० की हो। जो भी उस गवर्नमेंट में पार्टनर थे वह इसके लिये जिम्मेदार हैं।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि पन्त जी ने यहां एलेक्शन की बात कही। मैं उनकी बात का समर्थन करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि जब तक नार्मेल्सी नहीं आयेगी तब तक इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उनकी नार्मेल्सी की डेफिनीशन बदल जाय और पोलिटीकल प्रेशर आ जाय जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाय। केवल इतना ही नहीं है कि वहां नार्मेल्सी नहीं है, आज वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से और इलेक्शन से लोगों का विश्वास हट गया है। अगर सारी डेमोक्रेटिक पार्टीज कोशिश करें तो वह वहां चुन कर आ सकती हैं, लेकिन इस वक्त लोगों का विश्वास उन पर से हट गया है। उनको डर है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी, केओस क्रिएट किया था, जिन्होंने अनारकी पैदा की थी, कहीं वे ही किसी न किसी तरह से चुन कर न आ जायं। जब तक यह विश्वास उनको न आ जाय तब तक काम नहीं चलेगा, इसलिये सबसे पहले कानून की व्यवस्था ठीक होनी काहिये। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि जब तक वहां के लोगों को यह विश्वास न हो जाय कि चनाव होने के बाद अगर जनता इनके पक्ष में हो तो डेमोक्रेटिक पार्टीज पावर में आयेंगी, तब तक वहां चुनाव नहीं होने चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि पोलिटीकल लेवल पर आप दूसरे राज्यों में कोई भी नीति चलायें, लेकिन जहां तक बंगाल का सम्बन्ध है जितनी पोलिटीकल पार्टीज देश में है, उनका फर्ज है, उनकी खास जिम्मेदारी है कि बंगाल में जो लोग आतंक मचा कर अनारकी पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में वह अपनी

[श्री कंवर लाल गुप्त]

अलग पालिसी बनायें। मैं मांग करता हूं कि वह इसका निश्चय करें कि वह किसी भी ऐसी पार्टी से चुनाव में या कहीं पर भी कोई एलाएंस नहीं करेगी जो डेमोक्रसी में विश्वास नहीं करतीं।

तीसरी चीज—मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने पिछले दिनों अखबारों में पढ़ा कि इतना एम्यूनीशन पकड़ा गया जिसमें 44 हजार पौंड के बम बन सकते थे और वह एक जगह पकड़ा गया। इसका मतलब यह है कि कितने लार्ज स्केल पर यह काम हो रहा है। मेरी इन्फार्मेशन यह है कि पाकिस्तान और चीन नेपाल बार्डर के जरिये से लार्ज स्केल पर इन सब चीजों की स्मगलिंग कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई उसमें कितने बम खर्च हुए, आप अन्दाजा लगायें कि 44 हजार पाउण्ड में कितना एम्यूनीशन लगेगा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का विश्वास दिलाये कि आर्म्ज और एम्यूनीशन्ज की जो स्मगलिंग हो रही है, उसको पूरी तरह से चेक किया जायगा।

सर्विसिस में जो इनफिल्ट्रेशन हुआ है वह काफी डीप रूटिड है। जब ये पहले पावर में थे तब इन्होंने अपने आदमी प्लांट कर दिये थे। ये वे लोग हैं जो केओस क्रियेट करना चाहते हैं। जब तक आप इनको उखाड़ेंगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई काम नहीं किया है।

एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं और उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से एश्योरेंस चाहता हूं। आप बंगाल के लोगों को एक विश्वास दिलाएं कि जो भी कलप्रिट होगा, जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, चाहे वह घेराव की शक्ल में हो या इलीगल स्ट्राइक की शक्ल में हो या कोई वायोलेंस करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा।

श्री रामावतार शास्त्री: घेराव कानूनी है।

श्री कंवर लाल गुप्त: किसी तरह का वायोलेंस हो, चाहे कोई आदमी इलीगल एक्ट करता हो, उसको पूरी तरह से सजा दी जायेगी, इसका आश्वासन मंत्री महोदय बंगाल की जनता को दें। सुप्रीम कोर्ट ने घेराव को इलीगल करार दिया हुआ है। कोई भी व्यक्ति घेराव करेगा, इलीगल स्ट्राइक करेगा तो उसको उसके लिये सजा मिलनी चाहिये। आप दुर्गापुर स्टील प्लांट को लें। पिछले तीन साल में बंगाल की एनार्की की वजह से देश को करीब चार सौ करोड़ रुपये का नुक्सान उठाना पड़ा है चाहे वह पब्लिक सेक्टर में नुक्सान हुआ हो, प्राइवेट सेक्टर में हुआ हो या गवर्नमेंट प्रापर्टी का हुआ हो। कोई भी कलप्रिट क्यों न हो, उसको अपने किए की पूरी तरह से सजा दी जानी चाहिये और लोगों को विश्वास दिलाया जाना चाहिये कि जो भी घेराव होगा उसके वास्ते जो जिम्मेदार होंगे उनको सजा दी जाएगी। पहले हजारों घेराव हो चुके हैं। आगे अगर ऐसा होता है तो जो जिम्मेदार होगा उसको बख्शा नहीं जायगा और कानून अपना रास्ता लेगा और किसी प्रकार की कोई फेवर नहीं दिखाई जाएगी, इसका आश्वासन आप लोगों को दें।

SOME HON. MEMBERS *rose*—

MR. CHAIRMAN: Kindly refer to rule 218:

> "The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in the discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise.."

So, I cannot permit those who have not given prior notice to take part in the discussion.

SHRI JYOTIRMOY BASU: The rule says 'may' and not 'shall'.

SHRI UMANATH: You have read the rule; it is all right. You have read the rule properly. I do not deny that but, notwithstanding what the rule says, in the past when the Appropriation Bills came up at the third reading stage without a note being sent it was the convention of allowing Members. What is happening now is a departure. That is what we are saying.

MR. CHAIRMAN: I have already said that I allowed Shri Gupta in the third reading because he could not be given a chance earlier according to his prior notice because of a little omission on my part. This is why an opportunity has been afforded to him in lieu of the opportunity to which he was entitled according to the prior notice.

SHRI JYOTIRMOY BASU: If we had known it earlier that during the third reading of the Bill you will be insisting on prior notice, we would have done so. But it was not the practice of the House to debar us from exercising our rights.

श्री विद्याचरण शुक्ल: श्री कंवर लाल गुप्त जी ने जो बातें कही हैं उनमें से किसी का कोई सम्बन्ध इस बिल से नहीं है। जो बातें पहले हो चुकी हैं, हमारी बहस में, उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे लिये यह उचित होगा कि मैं उनको फिर से दोहराऊं। मेरे साथी श्री पन्त ने उन बातों के बारे में काफी विस्तार से हाउस को समझाया है। मैं समझता हूं कि अधिकतर मेम्बर उसको समझ गये हैं। श्री कंवर लाल जी के लिये शायद उनको समझना मुश्किल हुआ होगा। मैं उनको दोहरा कर सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूं कि मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसे पारित किया जाये।

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

18.27 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 26, 1970/Bhadra 4, 1892 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow. 8-10-70